



UPMP010012502026

न्यायालय ADJ I, Mainpuri

पीठासीन अधिकारी- (Sri Achchhe Lal Saroj), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06134

रिलीज प्रार्थना पत्र सं० 149/2026

विजयवीर सिंह

बनाम

उ०प्र० राज्य

दिनांक- 15.07.2026आदेश

1. प्रार्थी विजयवीर सिंह पुत्र बोधपाल सिंह निवासी ग्राम रजावली थाना रजावली तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद की ओर से वाहन कैन्टर नं. UP 83 DT 0121 को रिलीज करने हेतु प्रार्थना पत्र इस कथन के साथ दिया गया है कि वह उपरोक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है तथा उसके पास उक्त वाहन के कागजात मौजूद है जो पूर्ण व वैध है। उसका वाहन अ०स० 287/25 अंतर्गत धारा 8/20/25/29/60 एन.डी.पी.एस एक्ट में थाना औँछा जिला मैनपुरी में खड़ा है। प्रार्थी का वाहन खुले स्थान पर खड़े रहने से काफी नुकसान होने का संदेह है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का वाहन उसके हक में रिलीज किया जाना अति आवश्यक है। अतः उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी के उक्त वाहन को रिलीज करने की प्रार्थना की गयी है।

2. विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रश्नगत वाहन कैन्टर नं. UP 83 DT 0121 को वाहन मुकदमाती बताते हुये रिलीज का विरोध किया गया।

3. थाना औँछा जिला मैनपुरी की आख्यानुसार वाहन कैन्टर नं. UP 83 DT 0121 मुकदमा अपराध संख्या० 287/2025 से संबंधित अभियोग में प्रयुक्त हुयी है तथा वाहन मुकदमाती है तथा वर्तमान में थाना हाजा पर खड़ा है।

सुना एवं प्रपत्रों का अवलोकन किया।

4. प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रश्नगत वाहन कैन्टर नं. UP 83 DT 0121 की पंजीयन प्रमाण पत्र की मूल प्रति व छायाप्रति व उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, मैनपुरी द्वारा आख्या प्रस्तुत की गयी है। पंजीयन प्रमाण पत्र के अवलोकन से विजयवीर सिंह पुत्र बोधपाल सिंह निवासी ग्राम रजावली थाना रजावली तहसील टूण्डला जिला फिरोजाबाद उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी है। प्रार्थी की ओर से वाहन से संबंधित अन्य प्रपत्र भी दाखिल किये गये हैं। वाहन के संबंध में यह सर्वमान्य सिद्धांत है कि वाहन स्वयं कोई गलती नहीं करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में विधि व्यवस्था सुन्दरलाल अम्बालाल देसाई बनाम गुजरात राज्य 2003 (1) जे०आई०सी० 615 में अवधारित किया गया है कि गाड़ियों को थाने में खड़ी रहने से राष्ट्रीय क्षति होती है तथा राष्ट्रहित में वाहन को रिलीज कर दिया जाना चाहिए। इसी मामले माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह भी अवधारित किया गया है कि धारा 451 दं.प्र.सं. में विहित शक्तियों का प्रयोग न्यायपूर्ण तरीके से यथासिद्ध किया जाना चाहिए। और पुलिस स्टेशन में निरुद्ध वाहन के संबंध में यथाशीघ्र न्यायालय को निर्णय लेना चाहिए। वाहन लम्बे समय तक पुलिस स्टेशन में नहीं रोकना चाहिए।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अद्यतन विधि व्यवस्था क्रिमिनल अपील नं० 87/2025 BISHWAJIT DEY Vs THE STATE OF ASSAM के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय के पैरा 23 में यह अवधारित किया गया है कि

"In the absence of any specific bar under the NDPS Act and in view of Section 51 of NDPS Act, the Court can invoke the general power under Sections 451

and 457 of the Cr.P.C. for return of the seized vehicle pending final decision of the criminal case. Consequently, the trial Court has the discretion to release the vehicle in the interim. However, this power would have to be exercised in accordance with law in the facts and circumstances of each case."

इसी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वाहन को सीज किये जाने एवं जब्त किये जाने के संबंध में पैरा 21 में यह अवधारित किया गया है कि

"Upon a reading of the NDPS Act, this Court is of the view that the seized vehicles can be confiscated by the trial court only on conclusion of the trial when the accused is convicted or acquitted or discharged. Further, even where the Court is of the view that the vehicle is liable for confiscation, it must give an opportunity of hearing to the person who may claim any right to the seized vehicle is not liable to confiscation if the owner of the seized vehicle can prove that the vehicle was used by the accused person without the owner's knowledge or connivance and that he had taken all reasonable precautions against such use of the seized vehicle by the accused person."

5. प्रस्तुत मामले में निरुद्ध वाहन कैन्टर नं. UP 83 DT 0121 का पंजीकृत स्वामी विजयवीर सिंह को होना बताया गया है जिसका पंजीयन प्रमाण पत्र मूल रूप में न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रश्नगत वाहन के स्वामित्व के सम्बन्ध में अन्य किसी व्यक्ति द्वारा कोई क्लेम नहीं किया गया है। प्रकरण से संबंधित वाद विचारण हेतु लंबित है जिसमें अभियुक्त के दोषी होने अथवा दोषमुक्त होने के संबंध में इस स्तर पर कोई राय नहीं बनायी जा सकती। प्रश्नगत वाहन एक यांत्रिक वस्तु है जिसके थाने में खुले में खड़े रहने से उसकी गुणवत्ता (कलपुर्जे आदि) एवं मूल्य में हास आना स्वाभाविक है। अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त मामले में दिये गये दिशा निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत वाहन शर्तों के अधीन उसके पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

#### आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक विजयवीर सिंह द्वारा मुवलिंग 5,00,000/- रुपये (पांच लाख रुपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि की एक जमानत दाखिल करने पर वाहन कैन्टर नं. UP 83 DT 0121 वाहन स्वामी विजयवीर सिंह के हक में निम्न शर्तों के अधीन अवमुक्त/शुपुर्द किया जाता है।

- 1- वाहन स्वामी प्रश्नगत वाहन को वाद के अंतिम निस्तारण तक न तो विक्रय करेगा और न ही उसके रंग रूप अथवा भौतिक स्वरूप में परिवर्तन करेगा।
- 2- वाहन स्वामी प्रश्नगत वाहन की पहचान बनाये रखेगा और उसे किसी भी प्रकार से विक्रित नहीं करेगा। और न ही कोई क्षति कारित करेगा।
- 3- वाद के दौरान अथवा वाद के अंतिम निस्तारण के समय यदि न्यायालय द्वारा वाहन को तलब किया जाता है तो वाहन स्वामी प्रश्नगत वाहन न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

दिनांक- 15.07.2026

(अच्छे लाल सरोज)  
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
कोर्ट नं० 1, मैनपुरी।